कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास) जिला–धमतरी (छ.ग.)

E-Mail.- tribal.dhamtari@gmail.com, tribal.dmt@gmail.com Phone No.- 07722-232142, Fax No.- 07722-232143

—:: प्रेस विज्ञप्ति ::—

क्रमांक/2262 /आदि0वि0/क.आ.वि./ न.क.–156 /2026–27 धमतरी, दिनांक 30/05/2026

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) आवासीय विद्यालय नगरी, वि0ख0–नगरी, जिला–धमतरी (छ.ग.) में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अस्थाई रूप से सीजीबीएसई पैर्टन पर शाला संचालन हेतु प्रतिकालखण्ड के आधार पर "अतिथि शिक्षकों" (Guest teacher) लिया जाना है। सत्र 2026–27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु **Walk-in-Interview** के माध्यम से आवेदकों का चयन किया जायेगा।

1. **अतिथि शिक्षक भर्ती रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–**

क0	पद का नाम	विषय	रिक्त पदों की संख्या	साक्षात्कार दिनांक	साक्षात्कार का समय एवं स्थान
01	02	03	04	05	06
01	टी.जी.टी.	गणित	01	15.07.2026	**समय**–प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक **स्थान**–विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) आवासीय विद्यालय नगरी, वि0ख0–नगरी, जिला–धमतरी (छ.ग.)
	योग :–		01		

उपरोक्त संख्या परिवर्तनीय है, विद्यालय में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की संख्या कम/अधिक हो सकती है।

2. **पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–**

(1) टी.जी.टी. – अतिथि शिक्षक माध्यमिक कक्षाओं हेतु :–

I. न्यूनतम 50% अकों के साथ एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 04 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की डिग्री।

- **टी.जी.टी. (गणित)** – मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिकी, रसायन, विज्ञान, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी।

II. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।

III. राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (SETE PaperII) या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET PaperII) में पात्रता।

- **वांछनीय योग्यता** :– शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

3. **मानदेय भुगतान :–** कार्यालय पदेन/सचिव, छ.ग. राज्य स्तरीय आ.जा.क.आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्र0/1564 दिनांक 20.05.2022 के आधार पर निर्धारित मानदेय।

पद	मानदेय	रिमार्क
स्नातक शिक्षक	200/– प्रति कालखण्ड	अधिकतम 04 कालखण्ड

निरंतर.............

4. **योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थी के लिये चयन का मापदण्ड :–**

अ. टी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक है के लिए –

क0	**योग्यता**	**अंक भार**
1	हायर सेकेण्डरी के अंको का	**20%**
2	स्नातक के अंको का	**50%**
3	स्नातकोत्तर के अंको का	**25%**
अतिरिक्ति अंक		
4	कार्य अनुभव (01 वर्ष हेतु–01 अंक, 02 वर्ष हेतु–02 अंक, 03 वर्ष हेतु– 03 अंक, 04 वर्ष हेतु–04 अंक एवं 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम –05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। (छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नही दिया जावेगा।)	**01 वर्ष –01 अंक** **02 वर्ष –02 अंक** **03 वर्ष– 03 अंक** **04 वर्ष – 04 अंक** **05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष –05 अंक**

5. **अनुभव :–** अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला (केन्द्र/राज्य सरकार शासन के अधीन)/शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किये होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था/अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण अधीन से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। **(पारिशिष्ट–छः)**

6. **सामान्य निर्देश एवं शर्ते :–**

01. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा, किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नही किया जायेगा।
02. अतिथि शिक्षक का नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिये वैध रहेगा। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ, अतिथि शिक्षक के नियुक्ति की वैधता को अगले शैक्षणिक के लिए समिति के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है।
03. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र)
04. मेरिट सूची को शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर बनाया जायेगा।
05. प्रावीण्य सूची में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जायेगा।
06. नियुक्ति में किसी प्रकार का आरक्षण लागू नही होगा।
07. अभ्यर्थी हेतु 01 अप्रैल 2026 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तक।
08. पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि, वह विज्ञापन की प्रकिया व शर्तो को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
09. आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
10. अभ्यर्थी द्वारा भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व–प्रमाणित होना चाहिए।
11. शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी।
12. चयनित अभ्यर्थी को 03 दिवस के अन्दर संस्था में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रावीण सूची के अगले कम के अभ्यार्थी को अध्यापन हेतु उपस्थित कराया जाऐगा।
13. अतिथि शिक्षकों का अध्यापन के अतिरिक्ति पाठ्य सहगामी कियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करना होगा।
14. अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार की छूट्टी स्वीकृत नही की जायेगी एवं छूट्टी लेने पर उनका वेतन काट लिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना कोई कारण बताए केवल 15 दिन के पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।

निरंतर..........

15. अतिथि शिक्षकों को कार्य घंटे नियमित शिक्षकों के समान होगें।
16. अतिथि शिक्षकों का कर्तव्य व जिम्मेदारी नियमित शिक्षकों के समान होगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, छात्रों को विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्या, खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यकमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों आदि शामिल होंगे।
17. कार्यरत अतिथि शिक्षक विशेष पिछड़ी जनजातीय (कमार) आवासीय विद्यालय में नियमित पदस्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे। एवं किसी भी विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– 01.आवेदन पत्र।
02. परिशिष्ट– छः।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास धमतरी

पृ0कमांक / 2263 /आदि0वि0 / क.आ.वि. / न.क.–156 / 2026–27 **धमतरी, दिनांक 30 / 06 / 2026**
प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. कलेक्टर, जिला–धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिले के वेबसाईट – **dhamtari.gov.in** पर अपलोड करने हेतु।
04. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–धमतरी (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
05. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, नगरी को सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास धमतरी

विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय नगरी, वि0ख0–नगरी, जिला–धमतरी (छ.ग.) के लिए अतिथि शिक्षक व्यवस्था किये जाने हेतु आवेदन का प्रारूप सत्र 2026–27

प्रति,

प्राचार्य
विशेष रूप से कमजोर जनजाति (कमार) आवासीय
विद्यालय नगरी, जिला–धमतरी (छ.ग.)

आवेदित पद का नाम (टी.जी.टी.शिक्षक) :–..

1. आवेदित पद का विषय :–..
2. आवेदक का नाम :–..
3. पिता/ पति का नाम :–..
4. वर्तमान पता :–..
....
5. स्थाई पता :–..
(निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
6. जाति (जाति प्रमाण पत्र संलग्न करे। :–..
7. जन्म तिथि :–..
(प्रमाण हेतु हाई स्कूल का अंकसूची संलग्न करे)
8. आधार नंबर :–..
9. मोबाईल नंबर :–..
10. शैक्षणिक योग्यता :–
(हायर सेकेण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर/B.Ed/ STET/CTET/की सत्यापित अंकसूची की प्रति संलग्न करें)

क0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	विद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	हाई स्कूल					
2	हायर सेकेण्डरी स्कूल					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	B.Ed					
6	शिक्षक पात्रता परीक्षा CG TET/CTET					
7	अन्य					

11. पूर्व में शैक्षणिक कार्य का अनुभव :– विवरण (यदि हो)

क0	संस्था का नाम	पदनाम/विषय	अध्यापन कार्य का अवधि		कुल अवधि	
			कब से	कब तक	वर्ष	माह

घोषणा पत्र

मै..घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। मेरे द्वार दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं मेरा आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक :–..

स्थान :–.. आवेदक का हस्ताक्षर